भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1225

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दृष्टिहीनता के मामले

1225. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत दृष्टिहीनता से सर्वाधिक प्रभावित देश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीन लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आज तक दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में दृष्टिहीनता की बढ़ती समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता सर्वेक्षण 2007 के अनुसार देश में दृष्टिहीनता की व्याप्तता वर्ष 2007 में 1% थी। 2015-19 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में दृष्टिहीनता की व्यापकता वर्ष 2019 में 0.36% थी। भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या वयोवृद्ध जनसंख्या में वृद्धि और देश की अर्ध-उष्णकटिबंधीय स्थिति, जन जागरूकता की कमी और आर्थिक बाधाओं आदि के कारण अधिक है। भारत में दृष्टिहीनता के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:

1) मोतियाबिंद (66.2%)
2) कॉर्नियल अस्पष्टता (7.4%)
3) मोतियाबिंद सर्जिकल जटिलताएँ (7.2%)
4) डीआर और एआरएमडी को छोड़कर पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर (5.9%)
5) ग्लूकोमा (5.5%)
6) अन्य (7.8%)

तथापि, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दृष्टिहीन लोगों की संख्या निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबीवीआई) के अंतर्गत अलग से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दृष्टिहीनता की समस्या से निपटने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुलग्नक** में दी गई है।

(घ): भारत सरकार एनपीसीबी एक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम, का कार्यान्वयन करती है जिसमें दृष्टिहीनता के सभी कारणों का देश भर में समान रूप से समाधान किया जाता है। मोतियाबिंद, अपवर्तक, कॉर्नियल दृष्टिहीनता और बाल्य दृष्टिहीनता के अलावा यह कार्यक्रम अन्य नेत्र रोगों जैसे ग्लूकोमा, डायबिटीक रेटिनोपैथी, समयपूर्व रेटिनोपैथी (आरओपी), आयु से संबंधित मैक्यूलर डी-जनरेशन आदि पर केंद्रित है।

एनपीसीबीवीआई के तहत, मिशन मोड मोतियाबिंद सर्जरी अभियान 2022-23 में 75 लाख मोतियाबिंद सर्जरी, 2023-24 के लिए 90 लाख और 2024-25 के लिए 105 लाख मोतियाबिंद सर्जरी के वार्षिक लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। 2022-23 में उपलब्धि 111% थी क्योंकि 75 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 83.44 लाख मोतियाबिंद सर्जरी की गई और 2023-24 में दिसंबर तक 56.44 लाख मोतियाबिंद सर्जरी पूरी की गई है। इसके अतिरिक्त, एनपीसीबीवीआई के अंतर्गत केराटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया कलेक्शन चश्मों के वितरण के साथ किया जाता है।

****

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक एनएचएम के तहत राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन

लाख में रु.

क्र. स	राज्य /संघ राज्यों क्षेत्रों का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
		एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन	एसपीआईपी अनुमोदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	26.82	24.78	22.00	20.50
2	आंध्र प्रदेश	6814.50	9096.50	8704.50	7362.25
3	अरुणाचल प्रदेश	457.45	133.70	436.50	441.50
4	असम	1384.56	930.15	898.84	899.19
5	बिहार	4400.08	3881.26	3903.00	4138.00
6	चंडीगढ़	4.00	42.45	48.05	48.55
7	छत्तीसगढ़	1055.50	1502.11	2050.75	1810.75
8	दादरा और नागर हवेली दमन और दीव	16.26	15.72	34.57	34.57
9	दिल्ली	362.80	402.80	542.25	341.25
10	गोवा	101.90	113.90	150.40	150.40
11	गुजरात	3860.18	4315.72	5442.47	5131.55
12	हरियाणा	728.45	871.49	702.93	775.80
13	हिमाचल प्रदेश	219.60	170.41	299.50	323.00
14	जम्मू और कश्मीर	449.60	940.00	511.59	710.50
15	झारखंड	1745.00	1786.00	2598.56	2780.06
16	कर्नाटक	3127.54	3323.43	5761.13	5038.14
17	केरल	1155.55	1303.38	2205.37	2203.84
18	लद्दाख	0.00	143.53	128.60	128.60
19	लक्षद्वीप	31.93	51.26	41.81	43.90
20	मध्य प्रदेश	4642.60	6400.47	6795.25	6745.25
21	महाराष्ट्र	802.15	872.03	4044.80	4915.80
22	मणिपुर	342.95	452.98	432.75	432.75
23	मेघालय	115.20	200.21	98.17	87.45
24	मिजोरम	116.08	144.65	136.60	137.67
25	नागालैंड	109.70	127.10	140.28	140.39
26	ओडिशा	2262.52	2112.13	3675.51	3647.75
27	पुडुचेरी	96.79	197.56	157.02	274.34
28	पंजाब	775.18	825.40	992.00	997.00
29	राजस्थान	3933.05	4509.54	4741.97	4741.97
30	सिक्किम	56.25	110.75	97.75	107.53
31	तमिलनाडु	6347.75	6312.03	6407.00	12814.00
32	तेलंगाना	1757.64	1125.70	1993.50	2049.75
33	त्रिपुरा	450.75	308.14	542.03	500.79
34	उत्तर प्रदेश	7190.50	12948.87	12488.61	18538.20
35	उत्तराखंड	462.83	161.72	951.05	932.99
36	पश्चिम बंगाल	2688.77	4607.57	4910.96	5734.85

नोट :

उपर्युक्त आंकडे़ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार हैं।

****